9. Reparing of the apparatus.

10. Any other work/assignment by the Principal or teacher-in-charge including teaching of primary classes when necessary.

DUTIES OF THE LABORATORY ATTENDANTS

1. Cleaning, setting and arranging the apparatus in the Laboratory; this includes cleaning of utensils in the Home Science Laboratory.

2. Issuing to an receiving from students apparatus and maintenance of proper accounnt of the same under the guidance of the teacher-in-charge.

3. Cleaning of Laboratory and dusting of its furniture.

4. Carrying the apparatus to class-rooms as required by the teacher concerned.

5. Making local purchases for the laboratory and for the Kendriya Vidyalaya when authorised to do so according to the rules.

6. Collection material including frogs and other living animals required for practical work from outside the campus of the Vidyalaya.

7. Maintenance of botanical garden froggery, aquarium etc. in the Vidyalaya.

8. Painting and polishing of furniture.

9. Assisting in the upkeep of the Vidyalaya Book Store.

10. Assisting the Examination-in-charge during examination days.

11. Making arrangements during functions organised in the Vidyalaya from time to time.

12. Laboratory Attendent is responsible for maintenance of proper account of the stock in use. Any accidental damage or loss of apparatus must be immediately brought by him to the notice of the teacher incharge. The Lab. Attendent is also responsible for the generael care of the apparatus. Any damage/loss caused to the apparatus has to be made good by him.

13. Any other work assigned by the Principal or teacher-in-charge.

Laboratory Assistants in K.V.S.

692. DR. NAGEN SAIKIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Laboratory Assistants serving Kendriya Vidyalayas are included in "Teachers" category; and

(b) if so, what are the reasons for not extending them teaching allowance and promotions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक नाटक का दिखाया जाना

693. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले के पुरातत्वीय और पर्यटन-आकर्षण को

बढ़ाने के लिए 1957 के प्रथम स्व.-धीनता संग्राम और उसमें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के योगदान को ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से दिखाए जाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम कब दिखाए जाएंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साही) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी सहित चुने हुए स्थानों पर ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए पर्यटन विभाग को लिखा है । पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को उनके मानदण्डों के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक किला

694. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पुरातत्वीय विभाग द्वारा झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले को अधिगृहीत किये जाने के पश्चात उसको पुरातत्वीय और पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ख) उसके आसपास के क्षेत्र और किले को जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने और उनके पुनर्निर्माण हेतु कितनी राशि मंजूर की गयी है ;

(ग) सारे क्षेत्र का बागबानी विकास कब होगा; और

(घ) किले की मरम्मत व उसकी पुरातत्वीय सज्जा पर कितनी लागत आयेगी और यह कब पूरी कर दी जायगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साही) : (क) किले की मरम्मत और विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उठाए जा रहे कदमों में, कांटेदार तार लगाना, किले से सम्बद्ध क्षेत्र की सफाई और विकास, इसके भूदृश्य निर्माण, किले की दीवारों से पेड़-पौधों को उखाड़ना, कक्षों की मरम्मत और उनका पुनरुद्धार, विद्यमान रास्तों और सम्पर्क मार्ग की पुनः सफाई और संरेखण करना शामिल है ।

(ख) किले के लिए पक्की सड़क बनाने के लिए 10.27 लाख रुपये का प्राक्कलन अनुमोदित किया गया है ।

(ग) बागबानी सम्बन्धी विकास कार्य चल रहा है । इसके 1989-90 तक पूरा होने की संभावना है ।

(घ) किले की मरम्मत और रखरखाव का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है । 1988-89 के दौरान संरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित चल रहे नए कार्यों के लिए तीन लाख रुपये आवंटित किए गए हैं ।

Leave travel facility to the employees and their families by Indian Airlines

695. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether Indian Airlines gives leave travel facility to its employees and their families for travel in India and to other parts of the world once in three years;

(b) if so, the amount incurred by Indian Airlines as a result thereof;

(c) whether Government propose to withdraw this facility and compensate the staff in some other way for loss of this facility; and